



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052021-226917
CG-DL-E-07052021-226917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1672]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2021/वैशाख 17, 1943

No. 1672]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2021/VAISAKHA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2021

का.आ. 1799(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 241.3 से कि.मी.281.3 (रत्नागिरी) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख

"२५ दिसंबर २०२० " को "दैनिक नवकोंकण " और "दैनिक प्रहार " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 241.3 से कि.मी.281.3 (रत्नागिरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रत्नागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: संगमेश्वर					
गांव का नाम: आंबेड खुर्द					
1	66a/16a Part	निजी	कृषिक	0.0312	सैफुन्निसा हुसेन शेख, मुनीरा अन्वर खान, फातिमा अहमद खान, मिर्जा अहमद खान, सादिका नुरुलहसन खान, लुबना हुसैन खान, कौसर उमरान मोगल, मुश्ताक हुसैन खान, अक्सा हुसैन खान, नुरजहाँन हुसैन खान (६६अ/१६अ अंशतः)
गांव का नाम: कसबे संगमेश्वर					
2	75/2a Part	निजी	कृषिक	0.01	बेगम लतीफ दळवी, मुमताज मुनावर खान, रुकीया अब्दुल मजीद काद्री, गुल्लाफोज यासीन मुल्लाजी, हाजिरा बशीर शेख, राबिया अयुब दळवी, अब्दुललतीफ अमर दळवी, उस्मान उमर दळवी, अब्बास उमर दळवी, अब्दुल कादीर इस्माईल दळवी, हनीफ इस्माईल दळवी, निजामुद्दीन इस्माईल दळवी, जावीद इस्माईल दळवी, राबिया इस्माईल दळवी, इकबाल अल्ली मुजावर, अजिम अल्ली मुजावर, रुकसाना आसमी बोंद्रे, सईदा शौकत ठाकुर, जहिद महमंद दळवी, आशिया महमंद दळवी, फिरोज इब्राहिम दळवी, खालिद इब्राहिम दळवी, मुनिरा निसार निशानदार, मेहजब्बीन

					अन्वर खान, कैसर हनिफ सय्यद, नुरजहाँन इब्राहीम दळवी, तबसुम साजिद उडरे (७५/२अ अंशतः)
	गांव का नाम: कोंड आंबेड				
3	25/2Part	निजी	कृषिक	0.078	रमेश मनोहर नागवेकर, चंद्रकांत मनोहर नागवेकर (२५/२ अंशतः)
	गांव का नाम: कुरधुंडा				
4	39/18 Part	निजी	कृषिक	0.019	सिताराम गोविंद धुमक, राजश्री रामचंद्र घवाळी, अनिल झिमाजी धुमक, सुनिल झिमाजी धुमक, इंद्रा झिमाजी धुमक, संतोष विठ्ठल गेलये, जयवंती जयराम जोशी, लीला विठ्ठल गेलये, सुभाष शांताराम धुमक (३९/१८ अंशतः)
	गांव का नाम: रामपेठ				
5	1/28/1e+34/3a+1b Part	निजी	कृषिक	0.0593	नूरखां इस्मेल खान, अनीस अ. रज्जाक पठान (१/२८/१ई/३४/३/अ/१/ब अंशतः)
			कुल	0.1975	

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A1/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2021

S.O. 1799(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH66 on the stretch of land from Km 241.3 to Km 281.3 (SDO Ratnagiri Jai Stambh Collector office Ratnagiri) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Navkokan” and “Daily Prahar” both dated 25 December 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from km. 241.3 to km. 287.3 (SDO Ratnagiri Jai Stambh Collector office Ratnagiri) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA District: RATNAGIRI					
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sangameshwar				
	Village: Ambed Khurd				
1	66a/16a Part	Private	Agriculture	0.0312	Saifunnisa Husain Shekh, Munira Anvar Khan, Fatima Ahamad Khan, Mirza Ahamad Khan, Sadika Nurulhasan Khan, Lubna Husain Khan, Kousar Umaran Mogal, Mushtak Husain Khan, Aksa Husain Khan, Nurjahan Husain Khan 66a/16a Part
	Village: Kasabe Sangameshwar				
2	75/2a Part	Private	Agriculture	0.01	Begam Latif Dalvi, Mumtaj Munavar Khan, Rukiya Abdul Majid Kadri, Gullafoj Yasin Mullaji, Hazira Bashir Shekh, Rabia Ayub Dalvi, Abdul Latif Umar Dalvi, Usman Umar Dalvi, Abbas Umar Dalvi, Abdul Kadir Ismail Dalvi, Hanif Ismail Dalvi, Nijamuddin Ismail Dalvi, javid Ismail Dalvi, Rabiya Ismail Dalvi, Ikbal Alli Mujavar, Ajim Alli Mujavar, Rukasana Asim Bondre, Saida Shoukat Thakur, Jahid Mahammad Dalvi, Aashiya Mahammad Dalvi, Firoj Ibrahim Dalvi, Khalid Ibrahim Dalvi, Munira Nisar Nishandar, Mehjbbin Anvar Khan, Kaiser Hanif Sayyad, Noorjahan Ibrahim Dalvi, Tabsum Sajid Undare 75/2a Part
	Village: Kond Ambed				
3	25/2Part	Private	Agriculture	0.078	Ramesh Manohar Nagvekar, Chandrakant Manohar Nagavekar 25/2 Part
	Village: Kurdhunda				
4	39/18 Part	Private	Agriculture	0.019	Sitaram Govind Dhumak, Rajashri Ramchandra Ghavali, Anil Zimaji Dhumak, Sunil Zimaji Dhumak, Indra Zimaji Dhumak, Santosh Vitthal Gelye, Jayvanti Jayram Joshi, Lila Vitthal Gelye, Subhash Shantaram Dhumak 39/18 Part

	Village: Rampeth				
5	1/28/1e+34/3a+1b Part	Private	Agriculture	0.0593	Noorkhan Ismail Khan, Anis A. Rajjak Pathan 1/28/1e/34/3a/1b Part
			TOTAL	0.1975	

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A1/3D1]

RAJESH GUPTA, Director